

## **Guidelines for implementation of RKVY and Technology Mission on Sugarcane for the year 2011-12.**

....

स्कीमों के अन्तर्गत दर्शाए गए मदों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश सभी सम्बन्धित फील्ड अधिकारियों, चीनी मिलों तथा CCS HAU, Hisar को जारी करने आवश्यक हैं । इसलिए मदवार निम्नलिखित दिशा निर्देशानुसार स्कीमें लागू की जायेंगी :-

### **1. Seed Programme**

#### **(a) Breeder Seed Programme**

इस मद के तहत 19 एकड़ अगेती जैसे कि COJ-64 तथा COH-160, COH-164, CO-238 उच्च शर्करा वाली किस्मों के वर्ष 2011-12 में Breeder Seed चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा Sugarcane Breeding Centre, Karnal से तैयार करवाया जाएगा जोकि वर्ष 2012-13 में Foundation seed के रूप में चीनी मिलों के फार्मों पर उगाया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय एवं Sugarcane Breeding Centre, Karnal को यह बीज तैयार करने के लिए 8000/- रु० प्रति एकड़ की दर से धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी ।

#### **(b) Raising of foundation seed nurseries**

इस मद के तहत 50 एकड़ क्षेत्र में मुख्यतया अगेती एवं अन्य अच्छी किस्मों की वर्ष 2011-12 में Foundation Seed कृषि विश्वविद्यालय, गन्ना प्रजनन केन्द्र, करनाल तथा चीनी मिलों द्वारा तैयार करवाने का प्रावधान है जो वर्ष 2012-13 में कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की सिफारिश पर किसानों को 4000/- रु० प्रति एकड़ अनुदान देकर बिक्री किया जाएगा। उसके आधार पर सम्बन्धित संस्थान/चीनी मिल को अनुदान राशि चैक के माध्यम से दी जायेगी ।

#### **(c) Tissue Culture**

उन्नत तरीके से रोग रहित गन्ने के बीज को Tissue Culture विधि से तैयार की गई Seedling को 2,50/- रुपये प्रति Seedling की दर से अधिक से अधिक एक कनाल का बीज प्रति किसान अनुदान पर दिया जायेगा। 2,50 रुपये के अतिरिक्त जो लागत होगी वह किसान द्वारा वहन की जाएगी । इसके लिए सहकारी चीनी मिल, करनाल को 4.00 लाख Plantlets तैयार करने हेतु 10.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी ।

**(d) Providing Seed on subsidy**

- a) Those farmers who plant Sugarcane during Autumn Season, whether with intercropping or without intercropping, would be covered under the RKVY scheme by providing subsidy @ 1000/- acre.
- b) Only Scheduled Caste farmers are eligible for Spring Plantation under Technology Mission on Sugarcane. If no such beneficiaries are available; the Subsidy would be disbursed to marginal farmers.
- c) Such farmers should submit their application to the concerned ADO (Cane) so that their cases are processed well in time.
- d) Separate registers and accounts would be maintained for Autumn Planatation and Spring Plantation.
- e) Separate accounts and registers are to be maintained for both the scheme separately i.e. RKVY and Technology Mission on Sugarcane in the following proforma:-

क्र० सं०	किसान का नाम व पता	मद	गन्ने अधीन क्षेत्र (एकड़)	खेत भौतिक निरीक्षण तथि की	अनुदान राशि	चैक संख्या एवं दिनांक	किसान के हस्ताक्षर/ अंगूठा
1	2	4	5	6	7	8	9

**(e) Production of primary seed**

गन्ने की किस्मों का उचित अनुपात रखने के लिए Primary seed तैयार करने हेतु किसानों को 2000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि देना प्रस्तावित है। यह राशि कृषि विकास अधिकारी ( गन्ना) की सिफारिस पर उन किसानों को दी जाएगी जो चीनी मिलों से अथवा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से foundation seed प्राप्त करके Primary seed तैयार करेंगे । इसकी अदायगी चीनी मिलों/ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कृषि विकास अधिकारी की सिफारिश अनुसार तैयार की गई सूची के आधार पर की जायेगी ।

**(f) Seed treatment**

फफूंद से पैदा होने वाले भूमि जनित तथा बीज जनित बिमारियों से मुक्त करने के लिए गन्ने के बीज को बिजाई से पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। अतः गन्ने के बीज का उपचार केवल जैव कीटनाशकों (Trichoderma Harzianum/ Trichoderma Viride अथवा Pseudomonas) vertcillium इत्यादि से किया जाएगा। प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए 500/- रु० प्रति एकड़ से धनराशि रखी गई है। ये जैव कीटनाशक/ फफूंदनाशक सरकारी संस्था HLRDC/HAIC, HSDC के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे । यह राशि सम्बन्धित संस्था को दी जायेगी ।

1. गन्ने के फाउंडेशन सीड को MHATP द्वारा उपचारित करने हेतु गन्ना उगाने वाले किसानों को सहायता के रूप में 20/- रुपए प्रति क्विंटल परिवहन चार्जिज दिए जाएंगे। यह राशि RKVY स्कीम के तहत उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो अपना बीज चीनी मिलों अथवा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त करके तथा जिस मिल में उपचार करवाएगा उस मिल से प्राप्त लिस्ट के आधार पर **चैक** से की जाएगी।

## 2. Front line demonstration

इस मद के तहत 100 प्रदर्शन प्लांट ( एक एकड़ प्रति प्लांट) किसानों के खेतों पर आयोजित किये जायेंगे । इस मद के तहत 2000/- रुपए में से 1500/- रुपए सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी किसान मेला लगाने के समय किसानों को जलपाल टैन्ट की व्यवस्था आदि पर 500/- रू० तथा 1000/-रू० यूरिया, डी०ए०पी०, उर्वरक खरीदने पर खर्च करेंगे । सहायक गन्ना विकास अधिकारी उर्वरक आदि मान्यता प्राप्त संस्थाओं (Approved Source) से खरीद करेंगे। जैव उर्वरक (एक-एक Dose) तथा वट्टीसीलियम केवल दो Dose अपलीकेशन हेतु 500/-रू० की सामग्री पंचकूला मुख्यालय से सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

## 3. Ring Pit Methods of sowing

इस विधि से गन्ना उगाने वाले किसानों को मशीन किराए पर लेने तथा मजदूर लगाने आदि हेतु 4000/-रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता/अनुदान राशि दी जाएगी।

## 4. Promotion of trench/wide row spacing sowing

गन्ना उगाने वाले किसानों को वाईड रो स्पेसिंग विधि से गन्ना बिजाई करने के बाद 2000/- रुपए प्रति एकड़ की दर से मशीन किराए पर लेने व खाद आदि खरीदने के लिए सहायता राशि दी जायेगी ।

## 5. Multiple ratooning

गन्ने की मोढ़ी फसल की लाभकारी तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए 1000/-रुपये प्रति एकड़ की दर से स्टबल सेविंग, गैप फिलिंग, उचित जगह खाद डालने आदि हेतु सहायता दी जाएगी । यह राशि किसानों को कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन उपरान्त चैक के रूप में दी जायेगी । प्रत्येक किसान को एक एकड़ तक ही सहायकता राशि दी जायेगी ।

## 6. Mulching of Sugarcane crop

गन्ने की मोढ़ी फसल में पर्याप्त नमी बनाए रखने में खरपतवार न उगने पाए तथा भूमि में मौजूद पोषक तत्व नष्ट न होने पाए, इसके लिए Mulching अति आवश्यक

है । अतः 500/- रुपए प्रति एकड़ की दर से धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है । बिछाए गए Trash को सड़ाने के लिए 8 किलो Trichoderma का प्रयोग किया जाएगा । शेष राशि से सहायक गन्ना विकास अधिकारी खाद आदि सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवायेगा ।

## 7- Farmers Field Schools

एक फारमर्ज फिल्ड स्कूल के लिए 20,000 रुपये की राशि उपलब्ध होगी। इसमें प्रयोग की जाने वाली आईपीएम सामग्री (लाइट ट्रैपस तथा बायो एजेंट्स/बायो पैस्टीसाईड) आदि सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी । शेष धनराशि विभिन्न कार्यों के लिए पूर्व की भान्ति सहायक गन्ना विकास अधिकारी अपने स्तर पर खर्च करेंगे। इन स्कूलों का अयोजन 1 जुलाई, 2011 से किया जाएगा। खर्च निम्न मद अनुसार किया जायेगा :-

Sr.No.	Head	Amount
1	IPM Kit @ Rs. 150/- for 30 farmers and AEOs/NGOs/Lead farmers etc. (35X10)	5140.00
2	Working tea/refreshment for 38 participants (5AEO,30 farmers, 3 trainers) @ Rs. 15/- per Participant per day for 14 days (38X15X14)	7980.00
3	Contingent expenditure, POL etc.	1000.00
4	Distribution of IPM literature to participants @ Rs. 50/- per head (50X30)	1500.00
5	Cost of light trap, seed treatment, emergent spraying etc. on crossing of ETL in pests/diseases and any other relevant material.	2800.00
6	Organising IPM field day Working tea/refreshment and other contingencies	1580.00
7	Total expenditure on one FFS IPM demo cum-training consisting of 30 farmers apprentice	20000.00

## 8- Integrated Nutrients Management (INM)

**Bio-Fertilizers:** गन्ने की खेती में कार्बनिक खादों के कम प्रयोग, तीन-चार मोढ़ी फसल लेना तथा निरन्तर सघन खेती करने से भूमि में पोषक तत्वों की निरन्तर कमी होती जा रही है । अतः Soil Health को सुधारने के लिए गन्ने की फसल में Bio-Fertilizers जैसे : (Azatobactor and PSB) के प्रदर्शन प्लाट आयोजित किये जायेंगे । 800/- रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है । ये Bio-Fertilizers किसानों को राज्य की सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

## 9- Farm Implements

- (a) गन्ना उगाने वाले किसानों को 800/-रूपये प्रति पम्प या 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान पर मानव चालित स्प्रे पम्प तथा डस्टर्स उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। ये मशीनरी सरकारी संस्थाओं अथवा निजि विक्रेताओं से ADO(C) की सिफारिश पर परमिट के आधार पर दी जाएगी ।
- (b) पावर से चलने वाली मशीनरी जैसे:—Power Tiller, Trench Planter तथा Tractor Mounted Power Sprayers गन्ना उगाने वाले किसानों को क्रमशः 40,000/-रु०, 10,000/-रु० तथा 15,000/-रु० प्रति मशीनरी या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा । किसान अपनी मर्जी से इन उपकरणों को खरीद कर सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी से निरीक्षण करवाएगा। निरीक्षण उपरान्त ACDO किसान को अनुदान राशि चैक के माध्यम से जारी करेगा।

यह अनुदान केवल **ISI Marked** या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं द्वारा **टैस्ट किये गये उपकरणों पर ही दिया जाएगा ।**

- (C) आर०के०वी०वाई स्कीम के तहत प्रदर्शन लगाने हेतू जो यन्त्र खरीदे जाने हैं को Director Supplies and Disposal Haryana के माध्यम से खरीदे जाएगे।

उपरोक्त वर्णित सभी मदों को कार्यरूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के इनपुट्स आदि की आवश्यकता पड़ेगी, इन इनपुट्स में से कुछ इनपुट्स जैसे: Fertilizers आदि सहायक गन्ना विकास अधिकारी अपने स्तर पर Approved source से खरीद कर किसानों को देगें परन्तु Bio-agents, Light trap, IPM kits सरकारी संस्थाओं HAIC अथवा HLRDC के माध्यम से सप्लाई किये जायेंगे।

## 10. Trainings

### (a) State Level

The State level trainings will be organized at the rate of Rs. 25,000/- per training for two days Sugarcane Development Staff of Agriculture Department and Sugar Mills where 50 participants will be part of training.

### (b) Village Level Camps

Rs. 3,000/ per training camp has been provided for organizing village level training camps.

## 11. Single Bud Technique

In order to promote single bud technique showing of Sugarcane an assistance at the rate of Rs. 2,000 /- per acre will be provided to the cane growers through **cheque**.

## Terms and Conditions:

1. The preference for providing seed subsidy will be given to **SC/ST** and **woman farmers**.
2. The assistance on seed subsidy, Ring Pit Sowing, Wide Row Spacing, Multiple Ratooning, Mulching will be given through **cheques** after 100% verification by ADO(Cane) and at least 10% by ACDO concerned within 15 days and the complete record will be maintained in a separate register in the prescribed proforma.
3. A committee consisting of the concerned SDAO/SMS and ACDO will check at least 10% of the beneficiaries recommended by the ADOs before releasing the seed subsidy to the Cane Growers.
4. The ACDOs shall thereafter draw the Subsidy amount from the Treasury for disbursement to the eligible cane growers through **e-banking**. If it is not possible, then the payment will be made through **accounts payee cheques**.
5. The Subsidy will be disbursed to the farmers only by Account Payee cheque. **Seed Subsidy will not be disbursed in cash.**
6. Efforts should be made to distribute the cheques in the village or a cluster of villages in the presence of DC or ADC. If it is not possible, some respectables of the area or senior officers of Agriculture Department including the DDAs should be involved while disbursing the cheques.
7. A programme will be drawn for disbursing the cheques and copies thereof shall be sent to DC/ADC/DDA/SDAO/BAO etc so that they are also aware about the time schedule of disbursal of subsidy. Copy may also be sent to MDs of the concerned Sugar Mills as well.
8. One farmer will be given assistance under one component only.
9. The autumn planting seed subsidy will be given only to those farmers who has sown sugarcane upto 15.1.2011.
10. he farmers will be free to purchase ISI Marked implements or tested by any institute of Govt. of India from any manufacturers/ distributors and number should be engraved on the implement.
11. richoderma, Beauveria, Verticillium, IPM kits, Light traps and fertilizers, Azotobacter, PSB will be supplied through by HAIC ,HLRDC and HSDC.
12. he Seed Subsidy will be provided to those farmers who will plant only notified/recommended varieties of Sugarcane.
13. In case of Tenants, the subsidy will be provided through the land-owner.